प्रेस विज्ञप्ति

26-09-2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल आंचलिक कार्यालय ने दिनांक 24.09.2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), भोपाल के समक्ष वसंत पावसे, सहायक प्रबंधक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अरेरा हिल्स, भोपाल के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय, भोपाल ने दिनांक 24.09.2024 को ही पीसी का संज्ञान ले लिया है।

ईडी ने वसंत पावसे के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(ई) सहपठित 13(2) के अंतर्गत सीबीआई, भोपाल द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जाँच शुरू की।

ईडी की जाँच में पता चला कि वसंत पावसे ने 2.5 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अरेरा हिल्स, भोपाल में सहायक प्रबंधक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करके 1.58 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की। वह कथित तौर पर पार्टियों को ऋण स्वीकृत करने के लिए नकद में रिश्वत ले रहा था। उसने आवेदन पत्रों और जमा पर्चियों के साथ-साथ चेक पर फर्जी हस्ताक्षर करके अपने अवैध धन को धोखाधड़ी से जमा करने के लिए स्वयं, अपनी पत्नी और बेटे के नाम पर 03 खाते खोले थे। वह इन खातों में नकदी जमा करता था, उसके बाद इन खातों का इस्तेमाल अचल संपत्ति, बीमा पॉलिसियाँ, शेयर, म्यूचुअल फंड और आभूषण खरीदने के लिए करता था। ईडी की जाँच से पता चला है कि आरोपी द्वारा कथित रूप से अर्जित अपराध की राशि 1.58 करोड़ रुपये है।

इस मामले में ईडी की जाँच पूरी हो चुकी है।